उत्तराखंड में वनाग्नि की घटना

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड वन विभाग के अनुसार वर्ष 2024 में अब तक राज्य में वनाग्नि **की 477 घटनाएँ** सामने आई हैं, जिसमें 379.4 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को नुकसान पहुँचा है।

मुख्य बिंदु:

- क्षतिग्रस्त हुई **379.4 हेक्टेयर** भूमि में से 136.4 हेक्टेयर गढ़वाल क्षेत्र में, **202.82 हेक्टेयर कुमाऊँ क्षेत्र में और 40.2 हेक्टेयर प्रशासनिक वन्यजीव क्षेत्रों** में क्षतिग्रस्त हुई।
- वन अधिकारियों के अनुसार वनाग्नि एक वार्षिक समस्या बन गई है और मौसम की स्थिति में बदलाव के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। उत्तराखंड में **फरवरी के मध्य में वनाग्नि** का अनुभव शुरू होता है जब **पेड़ों के सूखे पत्ते गिर जाते हैं और तापमान में वृद्धि के कारण मृदा में नमी कम हो जाती है** तथा यह जून के मध्य तक जारी रहता है।
- वर्ष 2000 से, जब राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, अब तक वनाग्नि से 54,800 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि क्षतिग्रस्त हो चुकी है।

वनाग्नि

- **इसे बुश फायर/वेजटेशन फायर या वनाग्नि भी कहा जाता है,** इसे किसी भी अनियंत्रित और गैर-निर्धारित दहन या प्राकृतिक स्थिति जैसे कि जंगल, घास के मैदान, क्षुपभूमि (Shrubland) अथवा टुंड्रा में पौधों/वनस्पतियों के जलने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो प्राकृतिक ईंधन का उपयोग करती है तथा पर्यावरणीय स्थितियों (जैसे- हवा तथा स्थलाकृति आदि) के आधार पर इसका प्रसार होता है।
- वनाग्नि के लिये तीन कारकों की उपस्थिति आवश्यक है और वे हैं- ईंधन, ऑक्सीजन एवं गर्मी अथवा ताप का स्रोत।

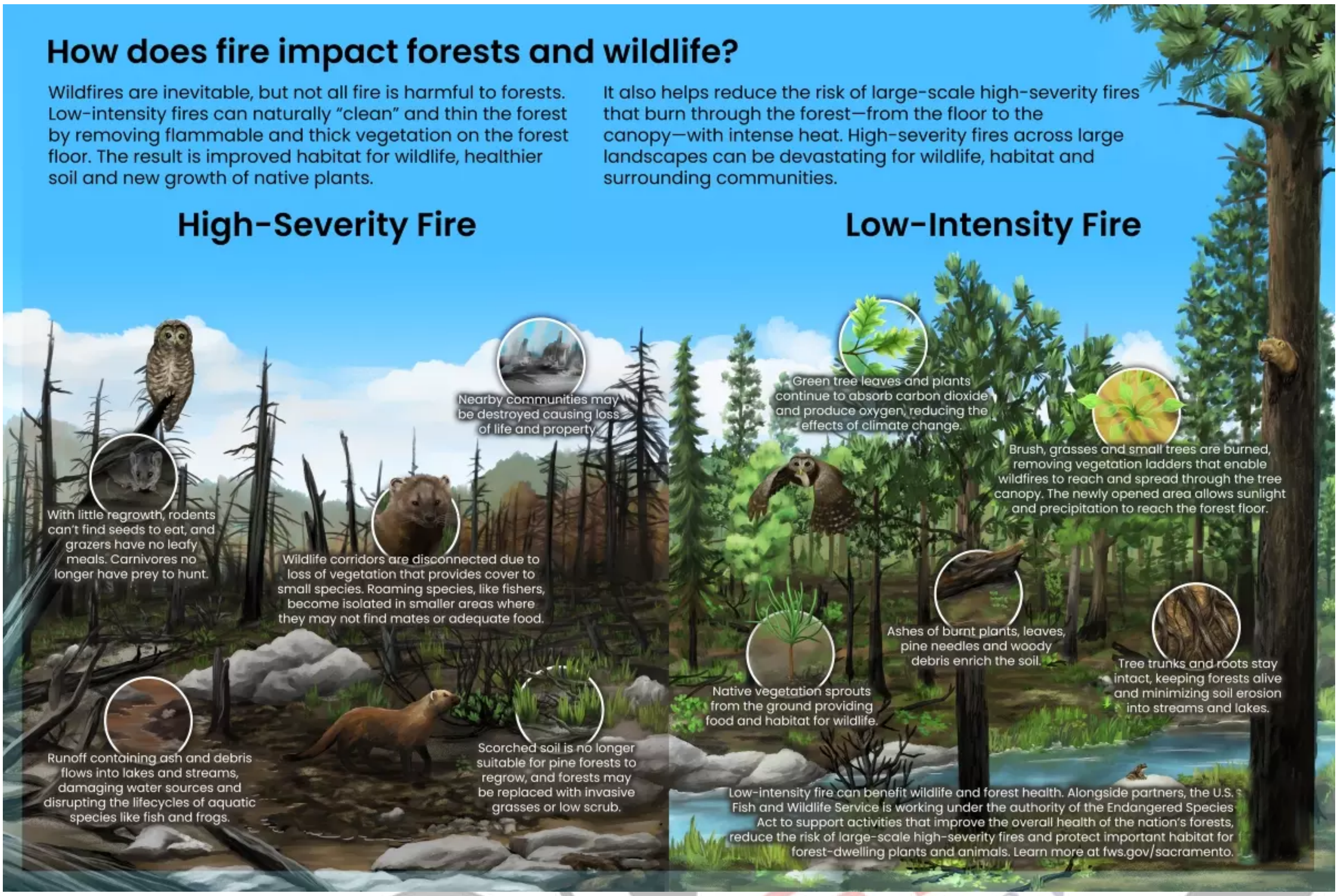

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/forest-fire-in-uttarakhand-1